केरोसीन न मिलाया जाए इसलिए केरोसीन में नीला रंग मिलाया जाता है। यह जो इम्पोर्टिड केरोसीन होता है यह सफेद रंग का होता है और इसको पेट्रोल में मिलाया जा रहा है। क्या आपने इसकी ओर गौर फरमाया है?

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है कि पूरे नार्थ इंडिया में पाल्युशन सैल ने जो सर्वे किया उसमें 22 प्रतिशत आउटलेट्स में अडल्ट्रेशन पाया गया और सात प्रतिशत आउटलेट्स में कम मापदंड पाया गया यानी कैलिब्रेशन करके कम तेल दिया जाता था। मैं जानना चाहता हूं कि उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है?

श्री राम नाईक: सभापति महोदय, यह बात सही है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि पेट्रोल में मिट्टी के तेल की मिलावट होती है और विदेश से जो मिट्टी का तेल आता है उसमें से ज्यादा होती है। इसीलिए हमने कामर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के साथ इसके बारे में चर्चा की थी और उन्होंने अभी 27 नवम्बर को एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसके आधार पर अब डायरेक्ट इम्पोर्ट नहीं होगा और केवल तेल कम्पनियां आयात कर सकेंगी। मुझे आशा है कि जब तेल कम्पनियां उपयोग करने वाले लोगों को ही मिट्टी का तेल बेचेंगी तो निश्चित तौर पर इसमें कमी आयेगी। जहां तक कुछ आंकड़े माननीय सदस्य ने दिए हैं, उनकी तफसील वे मुझे दे देंगे फिर मैं उनको देखकर, हम क्या कर सकते हैं, वह कार्यवाही करूंगा।

Scheme for Filing Income Tax Returns

*209 SHRI R.P. GOENKA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have reviewed the operation of the recently introduced limited scheme for filing Income Tax returns electronically, by assessees whose only source of income is salaries, through six specified banks, in seven cities;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps being taken, if any, to broad-base the scheme to include other categories of assessees also and to expand the facility to include more banks and more cities across the country?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI JASWANT SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The Government intends to expand the scope of the Scheme to include other categories of taxpayers and to expand the facility to include more intermediaries as well as cover more cities.

श्री आरएपी गोयंका: सर, मेरा निवेदन है कि यह बहुत वेलकम स्टेप है और इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन इसका टाइम फ्रेम क्या है और इसको पापुलर करने के लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री जसवंत सिंह: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि स्कीम अच्छी है और टाइम फ्रेम क्या है। यह असीमित है, चलती रहेगी। लक्ष्य तो यह है कि सभी टैक्सपेयर इसके जरिये अपने टैक्स की रिटर्न फाइल करें। बड़ा अच्छा होगा। इसको आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं- जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि अभी हमने कुछ चुनिंदा शहरों में ही इसे शुरू किया है, मसलन-अहमदाबाद, बंगलौर, चैन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुम्बई में। हमारा विचार है कि यह फैसला चाहिए।

दूसरी बात, मैं एक मिनट का समय लेकर बता देता हूं कि अभी तक करीब 1135 ऐसेसी अपने आप आगे आये हैं जिन्होंने इस जरिये से अपनी रिटर्न भरना शुरू किया है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसा करें। इसके लिए हम इंटरमीडियरीज़ को बढ़ा रहे हैं। जो एम्पलायर हैं उनके यहां यह भरी जा सकती है। इसके अलावा चारटर्ड एकाउटेंट हैं, टैक्स एडवोकेट्स हैं, उनके यहां भी रिटर्न भरी जा सकेंगी। ऐसा करके हमारा लक्ष्य है कि इस स्कीम को धीरे-धीरे बढ़ाया जाये।

भू-जल स्तर

*210 **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में भू-जल स्तर बहुत अधिक घट रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भू-जल स्तर को ऊपर लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।